

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 मई, 2019

01 ज्येष्ठ, 1941 शक

सा.का.नि. (अ). - भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 1/2019- सेवाकर, दिनांक 6 मार्च, 2019, जिसे सा. का. नि. 179(अ), दिनांक 6 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, की प्रथम पंक्ति में-

संख्या, अक्षर और शब्दों "29 फरवरी," के स्थान पर "31 मार्च," पढ़ा जाए।

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

[फा.सं. 137/14/2018- सेवाकर]